

6/04/21

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 29/06/21 को पेश हो।

*[Signature]*

29/6/21

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आभे वादी पतिवादी उपस्थिति फौजदारी अधिकारी, अजमेर के पास है। पत्रावली वास्ते 20/9/21 आयन्दा दिनांक 20/9/21 को पेश हो।

*[Signature]*

26/10/21

पत्रावली पेश करने में देरी के लिए अभियान कैम्प 21/10/21 में पेश हुई। प्रत्येक वादी पतिवादी पतिवादी के लिए अभियान में पत्रावली के बीच आपसी सहमति नहीं होने से पत्रावली आगामी दिनांक 2/11/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी / सिडर  
भाण्डलगाव

2/11/22

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 11/11/22 को पेश हो।

*[Signature]*

11/05/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आभे वादी पतिवादी उपस्थिति फौजदारी अधिकारी, अजमेर के पास है। पत्रावली वास्ते 2/8/22 आयन्दा दिनांक 2/8/22 को पेश हो।

25.05.22

अभिवक्ता वादी द्वारा सार्थना पत्र पेश किये जाने से पत्रावली सीधे से तलब की गई। अभिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहम सुनी गई। निर्णय पृथक ले लिखवाया जाकर शुले नं. भाण्डलगाव सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर जम्बल से कम की जाकर काबिल कइफल हो। तदनुसार रिक्की मुस्तीब हो।

उपखण्ड अधिकारी  
भाण्डलगाव जे-भीलवाडा